संख्या- 68 /2026/I/ 1517311 /2026/11-4099/35/2021

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 06 नवम्बर, 2026

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु राज्य कर विभाग में 100 वाहनों (बोलेरो या समकक्ष) को आउटसोर्सिंग के आधार पर लिए जाने हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से चयनित एल-1 फर्म (सेवा प्रदाता एजेंसी) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी-4-वा0-आउटसोर्स से वाहन व्यवस्था-2026-27/I/843184/2026/राज्य कर, दिनांक 21.10.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु राज्य कर विभाग में 06 माह के लिये आउटसोर्सिंग के आधार पर 100 वाहनों (बोलेरो या समकक्ष) को लिये जाने हेतु जेम पोर्टल पर की गयी निविदा से प्राप्त एल-1 फर्म सर्वश्री SHAKTI TRAVELS & TOURS, LUCKNOW (सेवा प्रदाता एजेंसी) द्वारा अंकित दर, प्रत्येक वाहन हेतु रु0 42,500.00 प्रति माह, इस प्रकार 100 एस0यू0वी0 वाहनों हेतु कुल रु0 255.00 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु राज्य कर विभाग में 06 माह के लिये आउटसोर्सिंग के आधार पर 100 वाहनों (बोलेरो या समकक्ष) को लिये जाने हेतु जेम पोर्टल पर की गयी निविदा से प्राप्त एल-1 फर्म सर्वश्री SHAKTI TRAVELS & TOURS, LUCKNOW (सेवा प्रदाता एजेंसी) द्वारा अंकित दर, प्रत्येक वाहन हेतु रु0 42,500.00 प्रति माह, इस प्रकार 100 एस0यू0वी0 वाहनों हेतु कुल रु0 255.00 लाख (रुपये दो करोड़ पचपन लाख मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा प्रकरण से सम्बंधित समस्त शासनादेशों एवं सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
4. टेन्डर की शर्तों के अनुरूप आउटसोर्स वाहनों की सेवायें प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

3- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय, आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत राजस्व लेखाशीर्षक 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य कर का अधिष्ठान के मानक मद 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
ARVIND SINGH
Date: 06-11-2026 16:56:50

(अरविन्द सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उ0प्र0।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(अरविन्द सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in